कार्यालय जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल उज्जैन (म.प्र.)

(Email:-jscjujn@mp.gov.in, Phone/Fax:- 0734, 2581020)

क्रमांक/ 1433 /स्थापना/2024 उज्जैन, दिनांक 07/06/2024

प्रति,

संचालक
सूचना प्रकाशन विभाग
बाणगंगा म.प्र. भोपाल

विषयः– केन्द्रीय जेल उज्जैन एवं अधीनस्थ जेलों पर रिक्त सफाईकर्मी के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशन करने बाबत।

*****

उपरोक्त विषय में अनुरोध है, कि जेल मुख्यालय के पत्र क्रमांक 4484/सामान्य स्थापना/अराज/2024 भोपाल, दिनांक 26.02.2024 के पालन में केन्द्रीय जेल उज्जैन एवं अधीनस्थ जेलों पर रिक्त सफाईकर्मी के पद पर नियुक्ति की जाना है। तत्संबंधी विज्ञप्ति इस पत्र के संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि इसका प्रकाशन कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं प्रदेश स्तर के कम से कम 02 दैनिक समाचार पत्रों में आवश्यक रूप से दिनांक 17.06.2024 के पूर्व कराने का कष्ट करे।

संलग्नः– 1. विज्ञप्ति –05 प्रति में।
2. सामान्य शर्ते, 3. आवेदन का प्रारूप।

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल उज्जैन(म.प्र.)

पृ.क्रमांक/ /स्थापना/2024 उज्जैन, दिनांक /06/2024

प्रतिलिपि :–

1. **महानिदेशक,** जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं म.प्र. भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जेल उप महानिरीक्षक रेंज उज्जैन म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जेल उप महानिरीक्षक (स्थापना) म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक रोजगार संचालनाय म.प्र. भोपाल की ओर पत्र दिनांक 16.04.2024 के अनुकम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला उज्जैन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. जनसंपर्क अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर प्रति विज्ञप्ति के प्रचार प्रसार हेतु सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करे।
7. जिला रोजगार अधिकारी उज्जैन की ओर सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित्।
8. तहसीलदार तहसील उज्जैन की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि विज्ञप्ति के प्रचार प्रसार हेतु सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करे।
9. अधीक्षक जिला जेल देवास/शाजापुर, सब जेल सोनकच्छ, बागली ,कन्नौद, शुजालपुर की ओर सूचनार्थ एवं स्थानीय स्तर पर प्रचार–प्रसार हेतु।
10. केन्द्रीय जेल उज्जैन के सूचना पटल पर व्यापक प्रचार–प्रचार हेतु चस्पा करने बाबत।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल उज्जैन(म.प्र.)

(बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल उज्जैन (म.प्र.)

(Email:-jscjujn@mp.gov.in, Phone/Fax:- 0734, 2581020)

–: चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु सामान्य शर्ते :–

1. किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8 वी उत्तीर्ण।
2. आयु सीमाः– 30.06.2024 को 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नही होना चाहिये।
3. दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड से सत्यापित होना चाहिए।
4. अभ्यर्थी को दिव्यांगता के अतिरिक्त शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए।
5. अभ्यर्थी का म.प्र. के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
6. अभ्यर्थी को आवेदन के साथ म.प्र. का मूल निवासी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र स्वहस्ताक्षरित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. परीक्षा योजना–अभ्यर्थी के द्वारा प्रमाण पत्रों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर चयन किया जावेगा।
8. परिवीक्षा अवधि –चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधी पर की जायेगी/परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण नही करने की स्थिति में सेवा से पृथक किया जा सकेगा। चयनित अभ्यार्थी को परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा।

प्रथम वर्ष	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

9. परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ शासन के नियमानुसार अन्य भत्ते देय होगे।
10. यह नियुक्ति म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13 अपैल 2005 के अधीन उल्लेखित निर्देश/शर्तो के अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत रहेगी।
11. अनर्हताः–

(क) जिस अभ्यर्थी की दो से अधिक जीवित संतान हो जिसमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

(ख) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो तथा कोई भी महिला अभ्यार्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पहले से ही एक पति जीवित हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

(ग) जिस अभ्यर्थी का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु(पुरूष 21 वर्ष, महिला 18 वर्ष) से पूर्व कर लिया गया होगा उसे उक्त पद से अयोग्य माना जायेगा।

12. आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रृटी पूर्ण पाई जाती है अथवा वांछित दस्तावेज संलग्न नही किया जाता है तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बगैर आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

13. अभ्यर्थी के चयन उपरांत यदि उनके द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी असत्य/मिथ्या पायी जाती है तो नियुक्ति समाप्त कर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

14. अभ्यर्थी को इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दि. 01.07.2024 के पूर्व डाक द्वारा या सीधे इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

15. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति मे जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरियता प्रदान की जावेगी।

16. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र एफ सी 3–15/2012/1/3 भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुकम में यह नियुक्ति आदेश, चरित्र सत्यानपन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है, यदि चरित्र सत्यापन की रिर्पोट में अभ्यर्थी शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

17. भर्ती प्रकिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार के वाद पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

18. अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपरधिक प्रकरण विचारण में होने की दशा में उसे अयोग्य माना जायेगा।

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल उज्जैन(म.प्र.)

(बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं)